देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक / प्रशा:चार / चयन समिति / 2025/329 दिनांक 15 APR 2025

प्रति,

अध्यक्ष, शासी निकाय, /प्राचार्य

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से संबंद्धता प्राप्त समस्त अशासकीय महाविद्यालय, इंदौर / धार / झाबुआ

विषय: **सत्र 2025–26 हेतु समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में कोड–28 के अंतर्गत शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति बावत्।**

संदर्भ: आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 143 / 359 / आउशि / संबंद्धता / 2024 दिनांक 28.03.2025 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 291 दिनांक 01 अप्रैल 2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल से प्राप्त उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों से मानदण्डों के अनपुसार परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों की जानकारी तत्काल निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय की मेल आई.डी. registrar.davv@dauniv.ac.in पर भेजने हेतु निर्देशित किया गया था।

कतिपय महाविद्यालयों को छोड़कर शेष महाविद्यालयों द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिन शेष महाविद्यालयों द्वारा जानकारी दिनांक 17 / 04 / 2025 तक प्रेषित नहीं की जाती है तो ऐसे महाविद्यालयों को सत्र 2025–26 की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसकी पूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालयों की रहेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / प्रशा:चार / चयन समिति / 2025/329 दिनांक : 15 APR 2025

प्रतिलिपि:

निदेशक महाविद्यालयीन विकास परिषद, दे.अ.वि.वि. इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप कुलसचिव (प्रशासन)